



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 29 अक्टूबर, 2020

अग्रहायण 8, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1307/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(154)-2020

लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-438

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1160/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 में,-

हिन्दी पाठ में-

(क) परंतुक के छठी पंक्ति में, शब्द "केन्द्रीय" के स्थान पर शब्द "राज्य" पढ़ा जाये।

अंग्रेजी पाठ में-

(a) In proviso third row, at the place of word "Central" read word "State".

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।